मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की बांसवाड़ा यात्रा की तैयारी पर निर्देश दिये

प्रधानमंत्री 25 सितंबर को माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे

जयपुर, 18 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा से देश को एक लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं समर्पित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास भी करेंगे, जो राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शर्मा ने प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभागों को समन्वय से काम कर समय पर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, यातायात, पार्किंग और सुरक्षा जैसे सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों को लेकर गुरूवार को उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को समय पर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

- **प्रधानमंत्री बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत तथा उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सफलता के लिए, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, यातायात, पार्किंग व सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन का सीधा प्रसारण राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों तक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक अवसर से जुड़ सकें।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर संभागीय आयुक्त और बांसवाड़ा जिला कलेक्टर वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

प्र.मंत्री मोदी ने नेपाल की प्र.मंत्री कार्की से बात की

नई दिल्ली, 18 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना

- **प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी।**

व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही, मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

यह बातचीत, 8 सितंबर को हिंसक झड़पों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से संसद भंग होने के बाद सुशीला कार्की की ओर से नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद हुई है। इससे पहले मंगलवार को नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने सिंह दरबार स्थित सुशीला कार्की से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की थी। नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए पोस्ट के अनुसार, बैठक के दौरान राजदूत श्रीवास्तव ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्की की नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बधाई संदेश दिया।

राज्य कर विभाग ने विश्वकर्मा में 9.59 करोड़ रूपए की जीएसटी चोरी पकड़ी

फर्जी चालान तथा ई-वे बिल से खरीद दिखाने वाला मास्टर माइंड महेन्द्र खंडेलवाल गिरफ्तार

जयपुर, 18 सितंबर। राज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में, राज्य में पनप रहे बोगस, फेक फर्मो तथा कारोबारियों पर राजस्व क्षति रोकने के लिए प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम द्वारा राजधानी जयपुर स्थित विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया की आयरन एवं स्क्रेप कारोबार में संलिप्त दो फर्मों, बाबा मैटल्स तथा खण्डेलवाल एण्टरप्राईजेज पर एक साथ सर्च/सर्वे की कार्यवाही की गई।

मुख्य आयुक्त राज्य कर विभाग ने बताया कि कार्यवाही से पूर्व विभाग ने जीएसटी पोर्टल पर दोनों फर्मों के खरीद फरोख्त संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया तथा अपने गुप्त स्त्रोतों से इन फर्मों की व्यापारिक गतिविधियों की सूचना जुटाई गयी। कार्यवाही के दौरान पाया गया कि दोनों फर्मों का संचालन एक मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा किया जा रहा है। विभागीय जांच में स्पष्ट हुआ कि महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा अपनी दोनों फर्मों में कूटरचित बोगस बिलों के आधार पर कुल 53 करोड़ 27 लाख रूपये की खरीद दिखाकर 9करोड़ 59 लाख रूपये की राजस्व हानि की गई है। मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल सुनियोजित योजना के तहत, राज्य के बाहर स्थित आयरन एवं स्क्रेप के बोगस कारोबारियों से संबंध स्थापित किये तथा दिल्ली, उत्तरप्रदेश, आगरा स्थित बोगस फर्मो से बिलों की खरीद कर अनुचित आगत कर (आईटीसी) का लाभ लेकर राजस्व की हानि की।

- **मास्टर माइंड महेन्द्र खंडेलवाल ने अपनी दो फर्मों में कूटरचित बोगस बिलों के आधार पर कुल 53 करोड़ 27 लाख रूपये की खरीद दिखाकर 9 करोड़ 59 लाख रूपयों की राजस्व हानि की।**

उन्होंने बताया कि जब विभाग ने इन फर्मो में माल की खरीद के लिए निर्मित ई-वे बिलों की गहनता से पडताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये। ई-वे बिल में जिन वाहनों का नम्बर दर्ज किया गया था। उन वाहनों का फर्मो के घोषित व्यवसाय स्थल, गोदाम आदि पर आगमन होना नही पाया गया। यहीं नही इनमें से कई वाहनो का संचालन तो राज्य के बाहर अन्यत्र होना पाया गया। इस प्रकार मास्टरमाइंड महेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा आगत कर दुरूपयोग (आईटीसी मिसयूज) की सोची समझी रणनीति के तहत माल की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये बिना ही कूटरचित ई-वे बिलों का निर्माण किया गया और केवल कागजी संव्यवहार के द्वारा बोगस बिलों से खरीद दिखाकर मिथ्या आगत कर का लाभ प्राप्त कर राजस्व की क्षित कारित की है।

कुमार पाल गौतम ने बताया कि सर्च कार्यवाही के पश्चात् बोगस कारोबारी महेन्द्र खण्डेलवाल विभाग को चकमा देकर एकाएक भूमिगत हो गया। मास्टरमांइड ने अपना मोबाइल फोन बन्द कर लिया और रोज नये ठिकाने बदलता रहा। विभाग के बार-बार सम्मन जारी करने पर भी पेशी पर उपस्थित नही हुआ। जिस पर मुख्य आयुक्त के सुपरविजन में प्रवर्तन शाखा प्रथम की टीम गठित की गई और मास्टरमाइंड के सभी संभावित ठिकानों, रिश्तेदारो के घरों पर राउण्ड दा क्लॉक हुलिया बदलकर रैकी करवायी गयी। टीम के कई सदस्य बोगस ग्राहक बनकर आयरन एवं स्क्रेप कारोबारियों से सम्पर्क करते रहे। इसी बीच, टीम को अपने गुप्त स्त्रोतों से किसी सामाजिक कार्यक्रम में मास्टरमाइंड के उपस्थित होने के सूचना मिली, जिस पर टीम के दो सदस्य कैटरिंग वाले बनकर कार्यक्रम में शामिल हो गये और बाकी टीम को सूचित कर अभियुक्त महेन्द्र खण्डेलवाल को आरजीएसटी/सीजीएसटी एक्ट 2017 के प्रावधानों के तहत 9करोड़ 59 लाख रूपये की राजस्व चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त को 29 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की गहनता से जाँच की जा रही है।

सीवर की ''मैनुअल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। मेरा मत है कि जुर्माना संबंधित अधिकारियों से वसूला जाए और वे बताएं कि निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ।

सरकार ने जवाब में कहा कि यह केवल ओपन ड्रेनेज का डीसिल्टिंग कार्य था, जिसमें कोई जहरीली गैस नहीं होती, और इसलिए यह मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा में नहीं आता। न्यायमित्र ने सरकार द्वारा किए गए इस बचाव पर हैरानी जताई।

पी.डब्ल्यु.डी. के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दावा किया कि यह केवल ढके हुए नालों की सिल्ट निकासी का कार्य था, जिसे आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था, इसलिए अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद, ठेकेदारों को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए 17 मई 2025, 17 अगस्त 2025 और 21 अगस्त 2025 को पत्र जारी किए गए हैं। पी.डब्ल्यु.डी. ने यह भी कहा कि खुले नाले की सफाई के लिए श्रमिकों को नियुक्त नहीं किया गया था और वे मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से गंदगी साफ करने) में संलग्न नहीं थे, इसलिए 2013 के अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते हैं। कोर्ट ने कहा, इस चरण पर, हम एफआईआर दर्ज करने से फिलहाल परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न तो अधिकारी और न ही उनके द्वारा नियुक्त ठेकेदार किसी भी श्रमिक को बिना सुरक्षा उपकरणों के नाले, साफ पानी की नाली या सीवर में प्रवेश करने दें। मामले से जुड़ी याचिका में संलग्न फोटोग्राफ्स स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ऐसा कार्य किया गया है। अत: इस कार्य के लिए लागत के रूप में 5 लाख का जुर्माना लगाना उचित होगा। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पी.डब्ल्यु.डी. यह राशि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास जमा करे।

हम यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि केवल पी.डब्ल्यु.डी. ही नहीं, बल्कि अन्य संबंधित अधिकारियों को भी अब नींद से जागना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शब्दश: और भावना सहित पालन किया जाए।

हम यह भी साफ़ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि यदि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराई गई, तो इस न्यायालय को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

कैबिनेट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिले फीडबैक का भी विश्लेषण किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से सरकार आमजन से सीधा संवाद कर रही है और योजनाओं की जमीनी हकीकत समझने का प्रयास कर रही है।

इसके अतिरिक्त, राज्य में ऊर्जा संयंत्रों एवं ''राइजिंग राजस्थान'' सम्मेलन के तहत हुए विभिन्न करारों को मूर्त रूप देने के लिए भू आवंटन और रियायतों से जुड़ी नीतियों पर भी चर्चा संभव है। सरकार इन निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द अमल में लाने की दिशा में सक्रिय है। कैबिनेट बैठक में सेवा नियमों में संशोधन जैसे प्रशासनिक विषयों पर भी विचार किया जा सकता है। इनमें कर्मचारियों से जुड़े नियम, प्रोन्नति, स्थानांतरण और नियुक्तियों से संबंधित बदलाव शामिल हो सकते हैं।

सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई अहम निर्णयों का आधार बन सकती है, जिससे राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

'अमेरिकन टैरिफ में जल्दी ही अच्छी खबर मिल सकती है'

नई दिल्ली, 18 सितंबर। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ शुल्क मुद्दों का समाधान अगले आठ से दस सप्ताह में हो जाएगा। रूस से तेल खरीदने के कारण भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में टैरिफ कम करने पर बात बन सकती है। कम से कम 25प्रतिशत अतिरक्त टैरिफ खत्म किया जा सकता है।(नागेश्वरन ने भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में यहां कहा, दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

मुस्लिम द्वारा मैसूर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

न्यायाधीश बी. आर. गवई के समक्ष उल्लेखित किया गया, क्योंकि उद्घाटन कार्यक्रम 22 सितंबर को होना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किये जाने के लिये सहमति दे दी।

15 सितंबर को, कर्नाटक उच्च न्यायाल के मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि बानू मुश्ताक की उपस्थिति से लोगों की भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ''हिंदू विरोधी'' बयान दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि मुश्ताक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा इस प्रकरण में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दी गई गारंटी आहत नहीं होती हैं। यह निर्विवाद है कि यह उत्सव हर वर्ष राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और उद्घाटन के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया जाता है। पूर्व में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी उद्घाटन कर चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 4 (बानू मुश्ताक) एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं और 2025 की ''बुकर पुरस्कार'' विजेता हैं। वे वकील और सोशल ऐक्टिविस्ट भी हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्होंने कई सार्वजनिक पदों पर कार्य किया है। वे हासन नगर परिषद की सदस्य, चामराजेंद्र अस्पताल विज़िटर्स बोर्ड की अध्यक्ष, राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण की सदस्य, हासन जिला समता वेदिके और महिला विकास मंच की अध्यक्ष रह चुकी हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ''किसी व्यक्ति का किसी विशेष धर्म का पालन करना और किसी अन्य धर्म के त्योहार में भाग लेना, भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।''

'मुझे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्हें वोट नहीं मिल रहे तो इसमें भाजपा का दोष नहीं है। पार्टी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार चुनाव हार रहे हैं और जनता द्वारा ठुकराए गए नेता हैं। उनकी बढ़ती हताशा ने उन्हें केवल झूठे और आधारहीन आरोपों की राजनीति तक सीमित कर दिया है।

तुरंत ही एक प्रैस क्रॉन्फ्रैंस बुलाकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ''बार-बार चुनाव हारने वाले, जनता द्वारा ठुकराए गए नेता, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है, उनकी हताशा और निराशा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने आरोपों की राजनीति को अपना गहना बना लिया है।'' ठाकुर ने आगे कहा कि जब चुनाव आयोग कांग्रेस से अपने ही लगाए गए आरोपों के सबूत मांगता है, तब वो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ''झूठे और निराधार आरोप लगाने की आदत'' हो गई है।

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी संविधान समझते हैं? उन्होंने कहा, वह सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने निर्देश भी दिए। उन्होंने कोई कदम उठाया क्या? उन्हें न कानून समझ में आता है, न सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।

इधर बिहार के रोहतास में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर गलती से भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के हर जिले में सिर्फ घुसपैठिए होंगे।

सीबीआई ने अनिल अंबानी व राणाकपूर के खिलाफ चार्जशीट पेश की

नई दिल्ली, 18 सितंबर। सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ उद्योगपति समूह की कंपनियों आरसीएफएल और आरएचएफएल, यस बैंक और बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन को लेकर गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया कि इन लेनदेनों से बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में संघीय एजेंसी ने कहा है कि अंबानी, अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह के अध्यक्ष और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक हैं, जो आरसीएफएल और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी है। एडीए समूह की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं हो सकी।

अंबानी के अलावा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राणा कपूर, बिंदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल (अब ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड), आरएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेसिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

- **यह कार्यवाही यस बैंक के 2796 करोड़ रु. के भ्रष्टाचार मामले के तहत की गई है**
- **जब यह घोटाला हुआ था तब राणाकपूर यस बैंक के सीईओ व प्रबंध निदेशक थे।**

सीबीआई ने बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर 2022 में यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और सीईओ कपूर, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे।

साध्वी प्रज्ञा सहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फैसले को चुनौती दी है।

यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच के समक्ष हुई। याचिका में कहा गया है कि जांच में हुई गलतियों या कुछ त्रुटियों के आधार पर आरोपियों को बरी नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि विस्फोट की साजिश रचते समय गोपनीयता बरती गई थी, इसलिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। यह अधिकार उन्हीं को है, जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों।

दरअसल, 31 जुलाई को विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया था। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल थे।

चारधाम हैलिकॉप्टर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी। केन्द्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिल्ली और देहरादून में इस मुद्दे पर कई दौर की वार्ता की। डीजीसीए ने मार्ग में आने वाले सभी हेलीपैड, हेलिकॉप्टरों और ऑपरेटरों की तैयारी की समीक्षा भी की थी। डीजीसीए चारधाम सेक्टर पर हेलिकॉप्टर उड़ाने वाले पायलटों के नियमित प्रशिक्षण और रूट चेक अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान, प्रतिकूल मौसम से निपटने और चालक दल से सदस्यों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ इस सेक्टर पर पहले से क्वालिफाइड पायलट को ही लगाया जाना चाहिये।

यात्रा के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सभी हेलिकॉप्टरों की गहन जांच करने और निर्माता द्वारा सुझाये गये मरम्मत शिड्यूल का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी गयी है।

'मैं सभी धर्मों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। अनुपातहीन प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह गंभीर भी है, क्योंकि टिप्पणियों को पूरी तरह से गलत जानकारी के साथ वायरल किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के नाम पर पूरी तरह से संदर्भ से बाहर बातें कही जा रही हैं।

उन्होंने कहा, ''किसी ने मुझे कल बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी, उसे सोशल मीडिया पर पेश किया गया है... मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ।''

अब भारत को अपनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गई है। अब तक, खराब अर्थव्यवस्था और कमजोर हालत के कारण पाकिस्तान हाशिए पर था।

भारत अब शायद और मजबूती से इज़रायल और रूस की तरफ झुक जाए। भारत को उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा, जिसमें इस्लामिक देशों का पूरा समूह भविष्य के किसी भी भारत-पाक संघर्ष में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए।

तथापि, सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता है तो मध्य-पूर्व के देशों का वास्तविक रुख क्या होगा। उदाहरण के लिए, अगर भविष्य में पहलगाम जैसी कोई आतंकी घटना होती है, तो क्या भारत पहले से हमला करने का विकल्प अपने पास रख पाएगा? भविष्य के किसी संघर्ष में पाकिस्तान को सऊदी अरब का समर्थन भारत के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। सऊदी अरब की वित्तीय मदद का मतलब होगा कि पाकिस्तान संकट की स्थितियों से पहले से कहीं ज्यादा ताकत से निपट सकेगा। वैसे भी, सऊदी अरब कई वर्षों से पाकिस्तान को आर्थिक सहारा देता आया है।

पहले कदम के रूप में भारत के लिए समझदारी यह होगी कि वह रूस के साथ तेल और ऊर्जा स्त्रोतों के नेटवर्क की ओर और अधिक झुके। भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान का डिफैंस पार्टनर बनकर खड़ा हुआ तो वह भारत की तेल सप्लाई रोक सकता है। इसलिए भारत को कहीं और से वैकल्पिक तेल और गैस आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना चाहिए, भले ही लागत अधिक हो।

- **साउदी अरब व अन्य खाड़ी देशों से ऑयल की सप्लाई संदिग्ध हो सकती है। पाकिस्तान से अगले युद्ध में, अतः भारत को ऑयल के अन्य स्त्रोतों, जैसे रूस, ब्राज़ील, आदि से ज्यादा खरीद करनी होगी।**
- **भारत को अपनी औद्योगिक क्षमता में प्राइवेट पार्टियों को पूरा प्रवेश देना होगा। क्योंकि, प्राइवेट व सरकारी क्षमताओं का पूरा सहयोग ही भारत को स्वावलम्बी बना सकता है, सेना की ताकत को ''अपडेट'' रखने में और कोई विकल्प नहीं है।**

चाहे भारत को यह पसंद आए या नहीं, लेकिन उसे हथियारों और रक्षा सामग्री की सप्लाई के लिए इज़रायल के साथ और गहरे रक्षा संबंध बनाने पड़ सकते हैं। भारतीय और इज़रायली रक्षा कंपनियों को मजबूरन आपसी रिश्ते मजबूत करने होंगे।

इस घटनाक्रम के बाद, भारत को देश की रक्षा और सैन्य ढांचे से जुड़े सभी कार्यक्रमों को दोगुना करना होगा। खासकर, चीन द्वारा बीजिंग की सैन्य परेड में हथियारों और गोला-बारूद का विशाल प्रदर्शन करने के बाद, भारत के लिए अपनी रक्षा पर खर्च बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है।

इसका मतलब है कि विकास और वृद्धि की पूरी रणनीति में बदलाव लाना होगा। भारत को अब अपना सैन्य-औद्योगिक ढांचा (मिलिटरी इण्डस्ट्रियल कम्बाइन) खड़ा करने की दिशा में तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। वे दिन गए, जब देश सिर्फ विदेशों से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। अब इन्हें देश में ही बनाना होगा, ताकि रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को उद्योग और निर्माण क्षेत्र की ताकत से पूरा किया जा सके।

यह केवल बेहतरीन कारें और उपभोक्ता सामान बनाने की बात नहीं है। इन्हें छोटे हथियारों से लेकर सबसे आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों तक की घरेलू निर्माण क्षमता से जोड़ना होगा।

ढिलाई के दिन अब खत्म हो चुके हैं। भारत अब तक सूचना प्रौद्योगिकी और उससे जुड़े क्षेत्रों में अपनी ताकत का बखान करता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हम अभी तक ''लो स्किल'' (कम कौशल वाले) और सुपरफिशियल सर्विसेज़ सैक्टर तक ही सीमित रहे हैं। भारत को अब अपने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल्स और एआई आधारित क्षमताएं खुद विकसित करनी होंगी, जो उसे असली बढ़त दिला सकें।

साउदी अरब का पाक को गुपचुप समर्थन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बार, पाकिस्तान, जो एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामी राष्ट्र है, को अब सऊदी अरब से एक औपचारिक रक्षा गारंटी मिल गई है, जो न केवल वित्तीय रूप से बेहद शक्तिशाली देना है, बल्कि तेजी से अपने भू-राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ा रहा है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा छतरी तक पहुंच का मार्ग भी प्रदान कर सकता है, जो इस क्षेत्र के नाज़ुक शक्ति संतुलन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है।

यह समझौता एक तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में आया है। कुछ ही महीने पहले, पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा की शाखा ''द रेसिस्टेंस फ्रंट'' द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान व पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने प्रतिकार किया और दोनों देश टकराव की कगार पर पहुंच गए। इस संदर्भ में, सऊदी-पाकिस्तान संधि इस्लामाबाद को वह ''रणनीतिक भरोसा देती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। रियाद के समर्थन से सशक्त महसूस करते हुए, पाकिस्तान कश्मीर या अन्य किसी मुद्दे पर भारत की सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए अधिक स्वतंत्र महसूस कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका खाड़ी सहयोगी देश विधिक रूप से उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। यह कदम सऊदी अरब, जो इस्लामी दुनिया में एक प्रभावशाली शक्ति है, को दक्षिण एशिया के अस्थिर संघर्षों में खींच सकता है।

भारत के लिए, यह समझौता एक दुविधा प्रस्तुत करता है। रियाद भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि नई दिल्ली सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश और भारतीय प्रवासी समुदाय जैसे क्षेत्रों में गहरे संबंध हैं। वर्षों से, भारत की विभिन्न सरकारों ने इस्लामाबाद के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद रियाद से संबंधों को सावधानीपूर्वक बनाए रखा है।

हालाँकि, यह समझौता भारत को एक मुश्किल स्थिति में डालता है। एक ओर, भारत एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ता और आर्थिक भागीदार को नाराज़ नहीं कर सकता, वहीं दूसरी ओर, उसे इस कठोर सच्चाई का सामना करना होगा कि सऊदी अरब, जिसे कभी भारत का निकटतम खाड़ी सहयोगी माना जाता था, अब पाकिस्तान की रक्षा के लिए विधिक रूप से बाध्य है।

- **हाल ही में दोहा में हुए इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन में नाटो जैसा सामरिक सैनिक ग्रुप बनाने के प्रस्ताव पर हुई बातचीत में शायद साउदी अरब-पाकिस्तान गठबंधन की नींव रखी गई थी।**
- **भारत, इस घटनाक्रम से विचलित है और इसीलिए अपने अधिकृत प्रेस नोट में भारत सरकार ने इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार देश की सुरक्षा व हित के लिए सदा कटिबद्ध है।**

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद सतर्क प्रतिक्रिया दी। ''हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर की रिपोर्ट देखी है। सरकार को इस घटनाक्रम की जानकारी थी कि इस पर विचार चल रहा है। हम इस घटनाक्रम के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। भारत सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संतुलित प्रतिक्रिया के पीछे, साउथ ब्लॉक के अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यह संधि इस्लामाबाद के लिए एक कूटनीतिक विजय है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ा, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सद्भावना को एक ठोस सुरक्षा छतरी में बदल लिया है। इसका समय भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच को प्रभावित करता है, जिसमें भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल सहित, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संबंधों को